

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1532/2019/ 273 दिनांक : 25/4/19

आदेश

श्रीमती अभम्मा केटी, लैब टेक्नीशियन अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बडीसादडी (चित्तौड़गढ़) जिनकी जन्म तिथि 10.05.1960 है तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.12.1984 है को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राज0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.06.2019 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.06.2019 इनका अकार्य दिवस होगा। इनके विरुद्ध:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1532/2019/ 273 दिनांक : 25/4/19  
प्रतिलिपि निम्न कः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बडीसादडी (चित्तौड़गढ़)।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
6. श्रीमती अनम्मा केटी, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर